

दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फ्लाई लीफ /11/2023

फ्लाई लीफ सं.11/2023

सर्व संबंधित ध्यान दें ...

पटरी/वेल्ड खराबियों के निवारण हेतु शीतकालीन पूर्वोपाय – रेलपथ की संरक्षा.
(रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.09.2023 का पत्र सं. 2016/सी ई-II/ सेफ्टी/प्रकाशन)

देश के अधिकतर भागों में जल्द ही शीतकाल आरंभ हो जाएगा. आने वाले शीतकाल में पटरी/वेल्ड खराबियों के निवारण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाए. फील्ड में निचले स्तर के कर्मचारियों तक संबंधित अनुदेशों को दोहराया जाए.

रेलवे बोर्ड ने पटरी/वेल्ड खराबियों के निवारण हेतु उपर्युक्त पत्र के अंतर्गत विशेष ध्यान देने योग्य कुछ गतिविधियों का विधिवत उल्लेख करते हुए निम्नानुसार शीतकालीन पूर्वोपाय जारी किया है:-

- (i) जॉगलड फिश प्लेट के बोल्ट होल सहित पटरी के जाइंटों का परीक्षण और स्नेहन शेड्यूल के अनुसार पूरा किया जाए
- (ii) एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर की डी-स्ट्रेसिंग, जहां भी आवश्यक हो, पूरी की जाए.
- (iii) आरएफ/डब्ल्यूएफ संभावित स्थलों में एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर को पहचानना होगा और मिसिंग फिटिंगों की भरपाई तथा शीतकाल में कम तापमान पर डी-स्ट्रेसिंग आदि उपाय आवश्यकता के अनुसार किए जाए.
- (iv) आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा 1005 (3, 4, 5) के अनुसार ठंड के मौसम में पट्रोलिंग के लिए पूरी व्यवस्था की जाए. बोर्ड के दि.17.11.2017 के पत्र सं.2017/सीई-II/ टीके/ पॉलसी पीटी. के अनुसार गश्त की मानीटरी और त्वरित संचार के लिए पट्रोलमैन को जीपीएस ट्रैकर प्रदान किए जाए.
- (v) पटरी के तापमान पर कड़ी नजर रखा जाए और वसेइंजी/रेलपथ द्वारा तापमान रिकॉर्ड रजिस्टर का रख-रखाव किया जाए. आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा 1005 (3) के अनुसार शीतकालीन गश्त आरंभ की जाए.
- (vi) कीमेन के ड्यूटी घंटों में उचित परिवर्तन किया जाए ताकि खराबियां, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाया जा सके.
- (vii) आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा 354 (ई) के अनुसार कइंजी/वसेइंजी/रेलपथ और समइंजी द्वारा एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर और एसईजे का निरीक्षण और आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जाए.
- (viii) सुनिश्चित करें कि कोई यूएसएफडी परीक्षण शेष नहीं है और यूएसएफडी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की गई.
- (ix) जंग लगे फ्लैज वाली पटरियों पर विशेष निगरानी रखी जाए. यदि आवश्यक हो तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति प्रतिबंध लगाया जाए.

वर्ष 2023-24 के लिए रेलपथ अनुरक्षण से संबंधित शीतकालीन पूर्वोपाय
(रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.09.2023 का पत्र सं. 2016/सीई-II/सेफटी / प्रिकाशन)

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ सं.
1.	जागरूकता :	
a	यूएसएफडी परीक्षण परिणामों के बारे में फील्ड स्तर के, विशेष रूप से पर्यवेक्षी स्तर (रेलपथ) के पदाधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और शीतकाल आरंभ होने से पहले कार्रवाई की जाए.	यूएसएफडी नियमावली (संशोधित-2022) में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार.
b	यूएसएफडी नियमावली(संशोधित 2022) के निबंधनों के अनुसार एटी वेल्ड की आवधिक जांच की जाए. टीएमएस में अद्यतन डाटा की फीडिंग सुनिश्चित किया जाए.	
c	सभी सेक्शनों में आवश्यकता आधारित संकल्पना के अनुसार पटरियों का सामान्य यूएसएफडी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए.	
d	सुनिश्चित करें कि कोई यूएसएफडी परीक्षण शेष नहीं है और यूएसएफडी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की गई है.	रेलवे बोर्ड के दिनांक 08.10.2021 का पत्र सं. 2016/सीई-II/सेफटी / प्रिकाशन की मद सं. VIII
e	सेक्शन के समईजी को प्रत्येक गैंग के साथ बात-चीत करना होगा और पटरी के तापमान की विधिवत रिकॉर्डिंग करते हुए अगले 15 दिनों के भीतर किए जाने वाले शीतकालीन पूर्वोपायों के बारे में समझाना होगा.	
f	इंजीनियरी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा पुश ट्रॉली में निम्नलिखित स्थलों पर विस्तृत निरीक्षण किया जाए. a) सुनिश्चित करें कि संबंधित स्थलों पर उपयुक्त फिटिंगों के साथ जांगल्ड फिश प्लेट उपलब्ध है. b) प्रमुख जंक्शन स्टेशनों और मार्शलिंग यार्डों में प्लैटफार्म लाइन और अन्य यात्री लाइन. c) संक्षारण की संभावना वाले क्षेत्र. d) महत्वपूर्ण पुल, सुरंग, ऊंचे तटबंध वाले पहुंच मार्ग और नुकीले मोड़.	ईएसओ:72/2011 के अनुसार.
2	उन रेल खराबियों का पता लगाना, जिनके कारण दरार पड़ते हैं:	
A	यूएसएफडी परीक्षण द्वारा:	
a	72 यूटीएस पटरियों में 250 जीएमटी से आगे दरारें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई है, जबकि 90 यूटीएस पटरियों में प्रारंभिक 50 जीएमटी तक अधिक खराबी दर देखा गया है. इसलिए, आवश्यकता आधारित संकल्पना के अनुसार यूएसएफडी परीक्षण के अलावा, 31 अक्तूबर से पहले (शीतकाल आरंभ होने से पहले) उन सभी 72 यूटीएस पटरी क्षेत्र, जहां रेलपथ ने 250 जीएमटी से अधिक भार का वहन किया है और 90 यूटीएस क्षेत्र, जहां रेलपथ ने 50 जीएमटी तक यातायात का वहन किया है उनका और एक बार परीक्षण किया जाए.	रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.09.2002. का पत्र सं. ट्रेक -21/99/0910/7/ वा. II
b	सामान्य परीक्षण के अलावा, शीतकाल आरंभ होने से पहले सभी महत्वपूर्ण पुल और पहुंच मार्गों के दोनों तरफ 100 मीटर की लंबाई तक एसकेवी/एटी वेल्ड की जांच की जाए.	रेलवे बोर्ड के दि. 09.05.2003 पत्र सं. ट्रेक I/21/99/0910/7/वा. II.
B	दृश्य परीक्षण द्वारा: फिश प्लेटेड जाइंट पर पटरी के सिरों और बोल्ट होलों की जांच जांगल्ड फिश प्लेट सहित फिश प्लेटों की ग्रीसिंग के समय	आईआरपीडब्ल्यू एम 2020 का पैरा सं.611(2)

	की जाए.	
3.	फ्रैक्चरों का पता लगाना:	
A	कीमैन द्वारा: कीमैन की ड्यूटी घंटों में उचित परिवर्तन किया जाए ताकि खराबियां, यदि कोई हो, का समय पर पता लगाया जा सके. कीमैन और पट्रोलमैन को 01.11.2023 से 28/29.02.2024 तक फ्रैक्चरों का पता लगाने और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए. समय: 06:00 बजे से 11:00 बजे तक और 14:00 बजे से 17:00 बजे तक.	
B	रात्रि पट्रोलिंगमैन द्वारा:	
a	शीतकालीन रात्रि गश्त 1 नवंबर से 28/29 फरवरी तक लागू रहेगी. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इस अवधि को बदला/बढ़ाया जा सकता है.	
b	चिन्हित ब्लॉक सेक्शनों पर 22:00 बजे से 06:00 बजे तक शीतकालीन रात्रि गश्त (मानसून गश्त के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार) की जाए. इस के लिए, सेक्शन के वरिष्ठ डीईएन/डीईएन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शीतकालीन रात्रि गश्ती चार्ट सभी संबंधितों को जारी किया जाए.	
c	वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों, गाड़ी सेवाओं की बारंबारिता, मौसम की स्थिति आदि के आधार पर बीट की लंबाई और श्रमशक्ति का नियोजन तय की जाए.	
d	यदि चार्ट में बताया गए समय के अनुसार कोई रात्रि पट्रोलमैन ड्यूटी पर नहीं आता है, तो "40 किमीप्रतिघंटे की गति प्रतिबंध" लगाया जाए और उस ब्लॉक सेक्शन में मालगाड़ी को पहले जाने की अनुमति दी जाए.	साधारण और सहायक नियम 2020 परिशिष्ट-IV का साधारण नियम 10.4 (3).
e	पट्रोलमैन द्वारा संबंधित एसएम/एसएस से हस्ताक्षर प्राप्त करने के अलावा मार्गस्थ समपारों पर तैनात गेटमैन के हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जाए. बीट एक्सचेंज पाइंटों पर पट्रोलमैन द्वारा बीट बुक का आदान-प्रदान किया जाए.	
f	गश्ती चार्ट के अनुसार पट्रोलमैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेक्शनों में नामित इंजीनियरिंग पदाधिकारियों द्वारा रात्रि फुट प्लेट निरीक्षण किया जाए.	
g	सामान्य शीतकालीन रात्रि गश्त के अलावा ऐसे चिन्हित स्थान जहां रेल संक्षारण काफी अधिक होता है, एक मोबाइल पट्रोलमैन को तैनात करते हुए "विशेष गश्त" भी की जाए. संबंधित सेक्शन के वरिष्ठ डीईएन/डीईएन द्वारा ऐसे स्थानों का निर्धारण किया जाए.	
h	22:00 बजे से 04:00 बजे के बीच रेल/वेल्ड खराबी का पता लगाने वाले रात्रि पट्रोलमैन को प्रोत्साहन के रूप में 500/- रुपये का पुरस्कार दिया जाए.	
4.	निवारक कार्रवाई:	
a	वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 (30.09.23 तक) के लिए चिन्हित रेल/वेल्ड खराबी संभावित किलोमीटर/ब्लॉक सेक्शनों की मंडलवार सूची अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है. इस कार्यालय के संदर्भाधीन पत्र (संलग्न) में दी गई सूचना के अनुसार 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करते हुए निवारक उपाय किए जाएं.	इस कार्यालय के दिनांक 11.12.2013 का पत्र सं. W.413/Genl/RWF/Vol. XXV

b	15 से अधिक वार्षिक जीएमटी सेक्शनों में निर्धारित कार्य अवधि का 50% पूरा करने वाले सभी एटी वेल्ड और एसकेवी वेल्डों को प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित स्थानों पर 2 फार एंड बोल्टों के साथ जांगल्ड फिश प्लेटों की व्यवस्था की जाए. i) मोड़ों पर, विशेषकर बाहरी पटरी पर. ii) पुलों के पहुंच मार्गों पर iii) 5 मीटर से अधिक ऊंचे किनारों पर iv) 3 मीटर से 5 मीटर ऊंचे किनारों पर v) अन्य स्थानों पर.	रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.9.2004 का पत्र क्रमांक ट्रैक/ 21/99/0910/7 भाग II
c	पहुंच मार्ग और एसडब्ल्यूपी ट्रैक सहित सभी पुलों के फिश प्लेटेड जोड़ों पर एक मीटर लंबी फिश प्लेट उपलब्ध कराए जाए. शीतकाल शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण पुलों और पहुंच मार्गों पर कार्य को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाए.	इस कार्यालय के दिनांक 07.01.2010 का पत्र सं.टी-5/पी/ एसपी. डब्ल्यूपी/भाग II.
d	एपॉक्सी पेंट/एंटीकोर्सिव पेंट से वेल्ड कॉलर की पेंटिंग की जाए.	
e	चिह्नित फ्रैक्चर संभावित हिस्सों में टीडब्ल्यूआर कार्य को प्राथमिकता दी जाए.	
f	फ्रैक्चर संभावित एलडब्ल्यूआर में कम अर्थात् टीएम से टीएम + 50 सेंटीग्रेट के बीच के तापमान पर डी-स्ट्रेसिंग किया जाए.	ईएसओ नंबर 3 का पैरा नं. 6.3 (v).
g	संक्षारण संभावित क्षेत्रों में पटरियों की पेंटिंग की जाए.	ईएसओ नंबर 59/02.01.2008.
h	संक्षारण प्रवण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में गेज फेस किनारों पर रेल फ्लैज के लाइनर संपर्क क्षेत्र को ग्रीस के साथ सील किया जाए.	
I	एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर की डी-स्ट्रेसिंग जहां भी आवश्यक हो, पूरी किया जाए.	
j	एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर के रेल फ्रैक्चर/वेल्ड खराबी संभावित स्थानों की पहचान की जाए और आवश्यकता के अनुसार मिसिंग फिटिंगों की भरपाई और शीतकाल के लिए कम तापमान पर डी-स्ट्रेसिंग जैसे उपाय किए जाए.	
k	जंग लगे फ्लैज वाली पटरियों पर विशेष नजर रखा जाए. यदि आवश्यक हो तो संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गति प्रतिबंध लगाया जाए.	रेलवे बोर्ड के दिनांक
l	आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा 1005 (3, 4 और 5) के अनुसार ठंड के मौसम में गश्त से संबंधित पूरी व्यवस्था की जाए.	08.10.2021 का पत्र सं. 2006/सीई-2/सेफ्टी/ प्रकाशन
m	पटरियों के तापमान पर कड़ी नजर रखी जाए और एसएसई/जेई (पी.वे) द्वारा तापमान रिकॉर्ड रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाए. आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा 1005 (3) के अनुसार ठंड के मौसम में गश्त शुरू की जाए.	
n	आईआरपीडब्ल्यूएम 2020 के पैरा 354 (ई) के अनुसार एसएसई/जेई (पी.वे) और एडीईएन द्वारा एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर और एसईजे का निरीक्षण और आवश्यकता के अनुसार मरम्मत किया जाए.	
o	फ्रैक्चरों की मरम्मत करते समय, ट्रैक में इनसर्ट की जाने वाली पटरी को र रखने से पहले यूएसएफडी क्लियरेन्स प्राप्त किया जाए. प्रत्येक सेक्शन	दमरे के ईएसओ नंबर 3 6.3 (vii) दिनांक 01.02.1999.

	इंजीनियर (पी.वे) के पास पटरी का स्टॉक होना चाहिए जिसका यूएसएफडी द्वारा परीक्षण किया गया हो और ट्रैक में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई हो.	
p	ऐसे स्थानों पर उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाया जाए जहां लाइनर संपर्क क्षेत्र में फुट संक्षारण काफी अधिक है, खासकर ऐसे मामलों में, जहां पटरी फुट पर संक्षारित लाइनर संपर्क क्षेत्र बदल गया हो और अनुपयुक्त स्थिति में हो. ऐसे प्रत्येक मामले का निर्धारण संबंधित सेक्शन के वरिष्ठ डीईएन/डीईएन द्वारा किया जाए.	
5.	फ्रैक्चरों के मामले में कार्रवाई:	
a	ऐसे फ्रैक्चर वाले स्थान, जहां फ्रैक्चर में 30 मिमी तक का अंतर हो, से गाड़ी पार कराते समय सावधानी बरतने के लिए रात्रि पट्रोलिंगमैन को परामर्श/प्रशिक्षण दिया जाए.	
b	आपातकालीन उपयोग के लिए सभी चौकीदार वाले समपार फाटकों पर और गैंग टूल बॉक्स में क्लैप के साथ पर्याप्त संख्या में जॉंगल्ड फिशप्लेट, लकड़ी के ब्लॉक उपलब्ध कराए जाएं.	
c	अप और डाउन लाइनों पर हर एक किमी के अंतराल में किसी एक पटरी पर अलग से क्लैप के साथ जॉंगल्ड फिश प्लेट उपलब्ध कराए जाए. तथापि, उन्हें रखने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जाए कि आपात स्थिति में उपयोग के लिए हर ½ किमी पर फिश प्लेट उपलब्ध हो.	इस कार्यालय के दिनांक 30.09.2013 का पत्र सं. डब्लू.413/जॉंगलिंग/भाग. II.

प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे